



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 31]  
No. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1995/श्रावण 14, 1917

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1995/SRAVANA 14, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को छोड़कर)  
द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किये गए साधारण सांख्यिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के  
आदेश, उपविधम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general  
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other  
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other  
than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 366 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(8) तथा स्वापक प्रौढ और मनःप्रभावी  
पदार्थ, अधिनियम, 1985 की धारा 36 सी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार स्वापक  
मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के कारण उत्पन्न हुए मामलों के प्रयोजनार्थ श्रीमती ऊषा दूबे जो इस समय राज्य सरकार  
लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत हैं, को विशेष लोक अभियोजक के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए उदयपुर  
न्यायालय में नियुक्त करती है।

1. नियुक्त व्यक्ति निम्न प्रकार के शुल्क के पात्र होंगे :-

- |   |   |
|---|---|
| (क) ड्राफ्टिंग शिकायत   | : 100 रु. प्रति मामला                       |
| (ख) प्रभावी सुनवाई के लिए   | : 200 रु. प्रतिदिन प्रति मामला              |
| (प्रभावी सुनवाई में अभियुक्त को रिमांड के लिए उपस्थित करना, अभियुक्त का आगे रिमांड के लिए वकालत तथा सुनवाई के अलावा अभियोजन के दौरान जमानत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करना शामिल है। इन प्रत्येक अवसरों पर अलग से सुनवाई होगी।) | : 300 रु. प्रतिदिन एक से अधिक मामलों के लिए |

(1759)

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में मुख्य नकशानवीस के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :-

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फागदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
"मुख्य नकशानवीस	1* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2000-60-2300- द. रो.-75- 3200-100- 3500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		व्यक्तियों के लिए अपेक्षित		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
	8			9		10
	लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		प्रोन्नत अधिकारियों के लिए दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	
	11			12		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।				प्रोन्नति :	1640 - 2900 रुपये के वेतनमान में ऐसे प्रधान नकशानवीस जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके	

न होने पर ऐसे प्रधान नकशानवीस जिन्होंने प्रधान नकशानवीस और नकशानवीस श्रेणी 1 के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर मदन पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2000-3200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है :  
या

(iii) जिन्होंने 1640-2900 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा या स्थापत्यकला में डिप्लोमा या समतुल्य ; और

(ii) सिविल/यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी डिजाइन के संबंध में कार्य करने वाले आरेखन कार्यालय में दो वर्ष का अनुभव :

टिप्पण : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति को सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठोक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।”

1. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी - अध्यक्ष

2. उप विकास अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य
3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या डाक और तार विभाग में अधीक्षक इंजीनियर की श्रेणी का एक बाहरी सदस्य - सदस्य

[सं. ए-12011/1/90-डीएम (सीईएलएल) जिल्द 1/वी (डी) ]  
श्यामलिमा बतर्जी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा. का. नि. सं. 866 तारीख 8-8-85 द्वारा किए गए थे और तदवशात् अधिसूचना सं. 301/4/83-बी (डी) ए- II तारीख 19-8-86 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF INFORMATION AND  
BROADCASTING

New Delhi, the 11th July, 1995

G.S.R. 368.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 1985 for the existing entries relating to the post of Chief Draftsman the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
"Chief Draftsman	1* (1995)	General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300- EB-75-3200-100- 3500.	Selection	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on work-load				
Whether benefit of added years of service admissible under Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Whether
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotee officers.	By promotion failing which by transfer or deputation.	

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
<p>Promotion :</p> <p>Head Draftsman in the pay scale of Rs. 1640—2900 with 3 years regular service in the grade, failing which Head Draftsman with 5 years combined regular service as Head Draftsman and Draftsman Grade-I.</p> <p>Transfer on deputation :</p> <p>Officers of the Central Government :—</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 2 years regular service in the post in the pay scale of Rs. 2000—3200 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 3 years regular service in the post in the pay scale of Rs. 1640—2900 or equivalent,</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience :</p> <p>(i) Diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering or Diploma in Architecture from a recognised University or equivalent; And</p> <p>(ii) 2 years experience in drawing office dealing with Civil/Mechanical or Electrical Engineering designs.</p> <p>NOTE : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :</p> <p>(for considering confirmation) :</p> <p>Consisting of :—</p> <p>Chief Engineer, All India Radio—Chairman.</p> <p>Deputy Development Officer (Administration)—Member.</p> <p>An outside Member of the Superintending Engineer grade from Central Public Works Department or Post and Telegraph—Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary."</p>

[No. A—12011/1/90(D) Cell Vol. I/B(D)]  
SHYAMALIMA BANERJEE, Under Secy.

NOTE : The principal rules were published vide GSR No. 866 dated 8-8-85 and further amended vide Notification No. 3014/83-B/(D) A-II dated 19-8-1986.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1995

सा. का. नि. 369—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बेंगलपट्टूर में कतिपय समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रिय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, बेंगलपट्टूर (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।